

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1397 / 2022

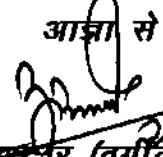
दिनांक : 21.04.2022

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 28.03.2022 का एक दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 27.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 29.03.2022 से 31.03.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री कुलश्रेष्ठ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां के पद पर ही की गई ।

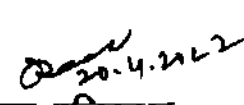
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 20.04.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/13/2011/ 3100

दिनांक : 21.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 571 दिनांक 04.04.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ0645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां ।


सहायक रजिस्ट्रार